

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

फिलो नं० - 66/2026

अनवान :-

1. दौलतराम पुत्र कश्मीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र त० टिब्बी।

बनाम

वादी

1. विनोद कुमार पुत्र आशाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र त० टिब्बी।
2. आशाराम पुत्र भैराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र त० टिब्बी।
3. कश्मीर पुत्र भैराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र त० टिब्बी।
4. रावताराम पुत्र भैराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र त० टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री सुभाष गर्ग वादी एवं श्री करनैल सिंह प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है - क.वादी दौलतराम व प्रतिवादी सं० 1 विनोद कुमार को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकनं० : 10 सीडीआरए के खाता सं० 180/178 के प०न० 213/256 मु० 65 किलानं० 11/.002 है०. उत्तरी-पूर्वी कॉर्नर) यानि 9 फुट चौड़ा व 25 फुट लम्बा उतर से दक्षिण

ख. वादी दौलतराम को प्राप्त आराजी :- चकनं० 10 सीडीआर ए के खाता सं० 163/161 के प०न० 213/256 मु० 65 किलानं० 12/1/.152 ,19/1/.152 है०

ग.प्रतिवादी सं० 3 कश्मीर को प्राप्त आराजी :- चक न० 10 सीडीआर ए के खाता सं० 10/11 में प०न० 213/255 मु० 60 किलानं० 21/3/.015 है० दक्षिणी दिशा

घ.प्रतिवादीसं०.4 रावताराम को प्राप्त आराजी:- चकनं० 10 सीडीआर ए के खाता सं० 284/23 में प०न० 215 /255 मु० 62 किलानं० 2/.253, 3/1/.051 है०। इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजी चक नं० 10 सीडीआर ए के खातासं० 180/178 में से विनोद कुमार का हिस्सा कम चकनं० 10 सीडीआर ए के खाता सं० 284/23 मे से दौलतराम का हिस्सा कम व चक 'न० 10 सीडीआर ए के खातासं० 163/161 मे से रावताराम का हिस्सा कम, चकनं० 10 सीडीआर ए के खाता सं० 10/11 मे से आशाराम का हिस्सा कम किया जावे। कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 17/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सत्यनारायण  
टिब्बी R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
जिला हनुमानगढ़